16.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप०। अभिभाषक प्रार्थी ने साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा। न्यायहित में समय दिया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी एवं आदेश 27.10.25 को पेश हो।

27.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी व सरकार पैरोकार उप०। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि फूलचंद व कैलाश एक ही व्यक्ति हो। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज निरस्त किया जाता है। पत्रावली कौशल कुमार रीडर द्वारा तत्काल नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।
पुनश्च: विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है।

No objection
पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :— 197/24
उनवान :— फूलचन्द बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—27.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 197/24
दायर दिनाँक :— 03.09.2024
निर्णय दिनाँकः— 27.10.2025

उनवान :—

फूलचंद
बनाम
सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री राजूलाल, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी फूलचंद पुत्र देवीलाल, जाति लोधा निवासी ग्राम कोलूखेडीकलां तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम कोलूखेडीकलां पटवार मण्डल कोलूखेडीकलां तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 60 (पुराना 58) की कुल किता 6 की 0.8014 हेक्टेयर एवं खाता संख्या नया 169 (पुराना 150) की कुल किता 2 की 1.3031 हेक्टेयर आराजी के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "कैलाश पिता देवीलाल" दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम "फूलचंद पिता देवीलाल" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम कोलूखेडीकलां की उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम "कैलाश" के स्थान पर "फूलचन्द " संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :— 197/24
उनवान :— फूलचन्द बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—27.10.2025

व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/सरकार पैरोकार को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी/सरकार पैरोकार उक्त वाद में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे साबित होता हो कि फूलचंद व कैलाश एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि फूलचंद ही कैलाश है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा फूलचंद को गलत तरीके से जमाबंदी में कैलाश दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथा